अतिआवश्यक / पंचायती राज संस्था आम चुनाव, 2026

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ 37(10)(49) / प0आ0चु0 / निर्वा / 2024 / 2280 दिनांक : 28.10.2026

::आदेश::
(सार्वजनिक अवकाश / सवैतनिक अवकाश / अवकाश)

माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 03.10.2026 द्वारा जारी घोषणा के तहत जिले में पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच पद) के रिक्त पदों पर आम चुनाव, 2026 में निर्वाचन हेतु निम्नानुसार दो चरणों में तिथियां निर्धारित की गयी है :

क्र.सं.	चरण	निर्वाचन क्षेत्र / पंचायत समिति का नाम	मतदान की तिथि (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए)	मतदान की तिथि (पंच एवं सरपंच के लिए)
1.	तृतीय चरण	श्रीविजयनगर	दिनांक 03.11.2026 (मंगलवार)	दिनांक 05.11.2026 (गुरूवार)
		सूरतगढ		
		राजियासर		
2.	चतुर्थ चरण	श्रीगंगानगर उत्तर	दिनांक 14.11.2026 (शनिवार)	दिनांक 16.11.2026 (सोमवार)
		श्रीगंगानगर दक्षिण		
		सादुलशहर		
		पदमपुर		
		श्रीकरणपुर		
		अनूपगढ		
		रायसिंहनगर		
		घडसाना		

1. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक प. 12(6)साप्र / 2 / 2023–02303 एवं राजकाज संदर्भ संख्या 25020950 दिनांक 13.08.2026 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के अंतर्गत उक्तानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में उक्त निर्धारित तिथियों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया गया है। साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र / क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया गया है।

2. वित्त (मार्गोपाय), विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 16 (1) वि.मा. / 2024 दिनांक 08.10.2026 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के अंतर्गत उक्त निर्धारित तिथियों एवं पुर्नमतदान दिवस को उक्तानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों मे परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सके।

3. माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 7(1)(1)नपा / रानिआ / 2024 / 9947 दिनांक 03.10.2026 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की

जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

उक्त धारा 135–बी (कार्मिकों को मतदान दिवस के संवैतनिक अवकाश से संबंधित) के प्रावधानों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी यथारूप अंगीकृत किया गया है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर का इस संबंध में मत है कि आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मतदाताओं को भी भारत निर्वाचन आयोग के ईसीआई/पीएन/055/2026/ दिनांक 30.04.2026 के बिन्दु संख्या 03, 04 एवं 05 के अनुरूप संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे। अतः उक्त निर्देशों की अनुपालना में उक्त प्रावधानों के तहत समस्त संबंधित अधिकारीगण/संस्थाप्रधान/कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित करता हूं कि उन कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का पात्र मानते हुये सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे, जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, किन्तु इन क्षेत्रों से अन्य स्थानों पर अपने काम–काज के सिलसिले में नियोजित है।

4. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 14(3)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट–2/ 00175 एवं राजकाज संदर्भ संख्या 24977820 दिनांक 09.10.2026 के अनुसार राज्य सरकार संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कारोबार/ व्यवसाय/ औद्योगिक उपक्रम/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में उक्त निर्धारित मतदान दिवस को उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, (जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है), को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अतः उक्त संस्थानो में कार्यरत सभी कामगारों के लिये आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के अंतर्गत उक्त निर्धारित मतदान दिवस को उक्तानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में संवैतनिक अवकाश देय होगा।

अतः मैं डॉ0 अमित यादव, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर), श्रीगंगानगर माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के अंतर्गत जिला परिषद/ पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन हेतु उक्तानुसार निर्वाचन क्षेत्रों/ पंचायत समितिवार, चरण वार निर्धारित मतदान तिथियों को श्रीगंगानगर जिले में उक्तानुसार प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सार्वजनिक अवकाश/ सवैतनिक अवकाश/ अवकाश घोषित करता हूं।

समस्त संबंधित द्वारा उक्त आदेश की समुचित अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ. अमित यादव)
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ 37(10)(49)/प0आ0चु0/निर्वा/2024/2280 दिनांक : 28.10.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु :

1. श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उक्त आदेश सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर सभाग, बीकानेर।
3. श्रीमान श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रीगंगानगर। (**ईमेल : dc-gan-rj@nic.in**)

7. समस्त जिला कलक्टर..... राजस्थान।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
9. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन/सतर्कता)/सूरतगढ/अनूपगढ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
11. प्रभारी अधिकारी, समस्तशाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर।
12. प्रभारी अधिकारी, समस्त संबंधित..... प्रकोष्ठ, पंचायत आम चुनाव 2026, जिला श्रीगंगानगर।
13. प्रभारी अधिकारी, स्वीप एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद..... जिला श्रीगंगानगर।
15. समस्त संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति..... जिला श्रीगंगानगर।
16. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), पंचायत समिति..... जिला श्रीगंगानगर।
17. समस्त उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी, पं.स./ तहसीलदार / ब्लॉकस्तरीय अधिकारीगण/ अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका.....जिला श्रीगंगानगर।
18. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, विभाग, जिला श्रीगंगानगर।
19. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
20. उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवायी जावें।
21. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग श्रीगंगानगर को जिले की अधिकृत वेबसाईट पर आदेश को अपलोड करने के क्रम में।
22. सहायक निर्देशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया/ सोशल मिड़िया/प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क जन साधारण तक प्रसारित कराया जाना सुनिश्चित करें।
23. रक्षितप्रति।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), श्रीगंगानगर